

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2018 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार बनाम
मिश्र प्रवर्तन अधिकारी
भीलवाडा

1. श्री अनिल ओझा ग्राम चावण्डिया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा मालिक श्री जी भोजनालय कोटा रोड चावण्डिया चौराहा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. श्री राम कुमार जाट पुत्र हजारी लाल जाट निवासी ग्राम खजीना तहसील कोटडी जिला भीलवाडा मैनेजर श्री जी भोजनालय कोटा रोड चावण्डिया चौराहा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 30.07.2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि श्री जी भोजनालय कोटा रोड चावण्डिया चौराहा तहसील कोटडी का औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर श्री राम कुमार जाट पुत्र हजारी जाट ग्राम खजीना तहसील कोटडी मिले। जिन्होंने स्वयं को श्री जी भोजनालय, कोटा रोड चावण्डिया चौराहा तहसील कोटडी का मैनेजर होना बताया। उन्होंने भोजनालय के मालिक का नाम श्री अनिल ओझा निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी होना बताया। निरीक्षण के दौरान मौके पर 05(पांच) 14.02 किग्रा वाले आई.ओ.सी.एल. कम्पनी के गैस सिलेण्डर व 01 (एक) चुल्हा मय रेगुलेटर मिले। मौके पर आरोपी द्वारा उल्लेखित सिलेण्डरों के कागजात पेश नहीं किये गये। निरीक्षण के दौरान भोजनालय मैनेजर श्री राम कुमार जाट द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर क्रमांक 513552 को रेगुलेटर एवं रबर पाईप के माध्यम से गैस चुल्हे से जोड़कर पूड़ी सब्जी बनाकर उसका उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाना पाया गया। अन्य चार घरेलू सिलेण्डरों का भी अवैध भण्डारण पाया गया। जिससे स्पष्ट हो गया कि आरोपी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं अवैधानिक रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जाकर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है। अतः वजह सबूत

भोजनालय मैनेजर श्री राम कुमार जाट पुत्र हजारी जाट ग्राम खजीना तहसील कोटडी के कब्जे से 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 16.4 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 गैस चुल्हा, रेगुलेटर, रबर पाईप जब्त सरकार किया जाकर श्री बट्टी लाल जाट पुत्र हीरा लाल जाट निवासी रूपाहेला कोटा रोड गोदाम इन्चार्ज भीलवाडा गैस सर्विस को सुपुदर्गी में दिये गये। चूंकि आरोपी द्वारा एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 16.4 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 गैस चुल्हा, रेगुलेटर, रबर पाईप को राजसात करने का आदेश फरमावे। चूंकि द्रवित पेट्रोलियम गैस ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ एवं प्रकरण के निस्तारण में समय लगने से गैस चुल्हा के खराब होने की संभावना है। अतः प्रकरण में अन्तरिम निस्तारण का आदेश भी फरमावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी द्वारा जवाब पेश किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। दौरान बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि श्री जी भोजनालय कोटा रोड चावण्डिया चौराहा तहसील कोटडी का औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर श्री राम कुमार जाट पुत्र हजारी जाट ग्राम खजीना तहसील कोटडी मिले। जिन्होंने स्वयं को श्री जी भोजनालय, कोटा रोड चावण्डिया चौराहा तहसील कोटडी का मैनेजर होना बताया। उन्होंने भोजनालय के मालिक का नाम श्री अनिल ओझा निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी होना बताया। निरीक्षण के दौरान मौके पर 05(पांच) 14.02 किग्रा वाले आई.ओ.सी.एल. कम्पनी के गैस सिलेण्डर व 01 (एक) चुल्हा मय रेगुलेटर मिले। मौके पर आरोपी द्वारा उल्लेखित सिलेण्डरों के कागजात पेश नहीं किये गये। निरीक्षण के दौरान भोजनालय मैनेजर श्री राम कुमार जाट द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर क्रमांक 513552 को रेगुलेटर एवं रबर पाईप के माध्यम से गैस चुल्हे से जोड़कर पूड़ी सब्जी बनाकर उसका उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाना पाया गया। अन्य चार घरेलू सिलेण्डरों का भी अवैध भण्डारण पाया गया। जिससे स्पष्ट हो गया कि आरोपी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं अवैधानिक रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जाकर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है। अतः वजह सबूत भोजनालय मैनेजर श्री राम कुमार जाट पुत्र हजारी जाट ग्राम खजीना तहसील कोटडी के कब्जे से 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 16.4 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 गैस चुल्हा, रेगुलेटर, रबर पाईप जब्त सरकार किया जाकर श्री बट्टी लाल जाट पुत्र हीरा लाल जाट निवासी रूपाहेला कोटा रोड गोदाम इन्चार्ज भीलवाडा गैस सर्विस को सुपुदर्गी में दिये गये। चूंकि आरोपी द्वारा एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है। निवेदन है कि जब्तसुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 16.4 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 गैस चुल्हा मय रेगुलेटर एवं रबर पाईप को राजसात करने का आदेश फरमावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका (फर्द जब्ती व सुपुर्दगी) पर हस्ताक्षर किये एवं गैस का व्यावसायिक उपयोग का जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से व्यावसायिक कार्य हेतु घरेलू गैस का उपयोग किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तसुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 16.4 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 गैस चूल्हा मय रेगूलेटर एवं रबर पाईप को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव -

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्तसुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 16.4 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 गैस चूल्हा मय रेगूलेटर एवं रबर पाईप को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तसुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 16.4 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 गैस चुल्हा, रेगूलेटर, रबर पाईप का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

30/7/18
(एल.आर.गुगारवाल) कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
न्याय निर्णय अधिकारी भीलवाडा
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाडा (राज.)